रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082023-248178
CG-DL-E-18082023-248178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त, 18, 2023/श्रावण 27, 1945
No. 481] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST, 18, 2023/SHRAVANA 27, 1945

## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व विभाग)
## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

**आयकर**

**सा.का.नि. 615(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 1 सितंबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 3 में,——

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(1) धारा 17 की उपधारा (2) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजन के लिए, नियोजक द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई वास सुविधा के मूल्य का अवधारण नीचे दी गई सारणी 1 में उपबंधित आधार पर किया जाएगा:

**सारणी 1**

| क्र.सं . | परिस्थितियां | जहां वास सुविधाएं सुसज्जित नहीं हैं | जहां वास सुविधाएं सुसज्जित हैं |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | जहां वास सुविधा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अपने उन कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है, जो या तो संघ या ऐसे राज्य के कार्यकलापों के लिए पदधारण किए हों । | केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वास सुविधा के बारे में उस सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित वह अनुज्ञप्ति फीस, जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराए से घटाकर आए। | स्तंभ (3) के अधीन यथाअवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू साधित्र, वातानुकूलन संयंत्र उपस्कर भी है) लागत का 10% वार्षिक बढ़ा दिया गया हो और यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया गया है तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उसके लिए संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर आए। |
| (2) | जहां वास सुविधा किसी अन्य नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जाए, और<br><br>(क) जहां वास-सुविधा नियोजक के स्वामित्वाधीन हो, या | (i) उन शहरों में, जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है, वेतन का 10 प्रतिशत ;<br>(ii) उन शहरों में, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक है, किंतु 40 लाख से कम है, वेतन का 7.5 प्रतिशत ;<br>(iii) अन्य क्षेत्रों में, वेतन का 5 प्रतिशत, उस अवधि के दौरान, जिसको पूर्व वर्ष के दौरान उक्त वास सुविधा कर्मचारी के अधिभोग में थी, कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटा कर आए । | स्तंभ (3) के अधीन यथा अवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर अन्य घरेलू साधित्र वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या अन्य वैसे ही साधित्र या गैजेट भी है) लागत का 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा दिया गया हो और यदि ऐसा फर्नीचर किसी अन्य पक्षकार से किराए पर लिया गया हो तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उसके लिए किसी अन्य संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर। |
| | (ख) जहां वास सुविधा नियोजक द्वारा पट्टे या किराए पर ली गई हों | नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टा किराए की वास्तविक रकम अथवा वेतन का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटाकर आए | स्तंभ (3) के अधीन यथा अवधारित परिलब्धि का मूल्य और जिसमें फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट रेफ्रिजरेटर अन्य घरेलू साधित्र वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या अन्य वैसे ही साधित्र या गैजेट भी है) लागत का 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा दिया गया हो या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया गया हो, तो उसके लिए वास्तव में संदेय वह किराया प्रभार, जो कर्मचारी द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान उसके लिए किसी अन्य संदत्त या संदेय किन्ही प्रभारों को घटाकर। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) | जहां वास-सुविधा क्रम संख्यांक (1) या (2) में विनिर्दिष्ट नियोजक द्वारा किसी होटल में उपलब्ध कराई जाती है (उसके सिवाए जहां कर्मचारी को ऐसी वास- सुविधा एक स्थान से उसका दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर कुल मिलाकर 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती है | लागू नहीं होता | पूर्व वर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन का 24 प्रतिशत अथवा ऐसे होटल को उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी वास- सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या संदेय वे वास्तविक प्रभार इनमें से जो भी कम हो जो कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त या संदेय किराया, यदि कोई हो, घटा कर आए : |

परंतु इस उपनियम की कोई बात ऐसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई वास सुविधा को लागू नहीं होगी, जो किसी खनन स्थल पर या अग्रतटीय तेल खोज स्थल पर या किसी परियोजना निष्पादन स्थल पर या किसी बांध स्थल पर या विद्युत जनन स्थल पर या किसी अपतटीय स्थल पर कार्य कर रहा हो,--

(i) जिनका कुर्सी क्षेत्र 1,000 वर्ग फुट से अधिक नहीं हो और किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से कम से कम आठ किलोमीटर दूर स्थित हो ; या

(ii) जो किसी दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो :

परंतु यह और कि जहां कर्मचारी को, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के कारण, तैनाती के नए स्थान पर, जबकि दूसरे स्थान पर स्थित वास-सुविधा को रखता है, वास-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां परिलब्धि के मूल्य का अवधारण केवल एक ऐसी वास-सुविधा के प्रति निर्देश करते हुए, जिसका उपरोक्त सारणी के प्रति निर्देश करते हुए कम मूल्य है, 90 दिन से अनधिक अवधि के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात् परिलब्धि का मूल्य सारणी के अनुसार ऐसी दोनों वास-सुविधाओं के लिए प्रभारित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां वास-सुविधा का स्वामित्व नियोजक के पास है तथा वही वास-सुविधा एक पूर्ववर्ष से एक अधिक समय से उसी कर्मचारी को निरंतर प्रदान की जाती है, क्रम सं0 2(क) या 2(ख) के अनुसार संगणित रकम पहले पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित रकम से अधिक नहीं होगी, जो उस रकम द्वारा गुणा की जाती है, जो पूर्ववर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का एक अनुपात है, जिसके लिए रकम की संगणना की जाती है और पूर्ववर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जिसमें कर्मचारी को प्रारंभ में वास-सुविधा प्रदान की गई थी ।

**स्पष्टीकरण 1-** उस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वास-सुविधा ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाती है, जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर है,--

(i) ऐसे किसी कर्मचारी का नियोजक को वह निकाय या उपक्रम समझा जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है; और

(ii) ऐसी किसी वास-सुविधा की परिलब्धि का मूल्य सारणी 1 के क्रम सं. (2)(क) के अनुसार रकम संगणित की जाएगी मानो वास-सुविधा, नियोजक के स्वामित्व में हो।

**स्पष्टीकरण 2—** तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित सूचकांक अभिप्रेत है ; और

(ii) "पहले पूर्ववर्ष" से 2023-24 पूर्ववर्ष, या वह पूर्ववर्ष, जिसमें कर्मचारी को वास-सुविधा प्रदान की गई थी, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अभिप्रेत है ।';

(ii) स्पष्टीकरण में खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(v) उपनियम (1) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "दूरस्थ क्षेत्र" से वह कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो, 2011 की जनगणना के आधार पर, 1,00,000 या अधिक की जनसंख्या वाले किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की--

(क) स्थानीय सीमाओं के भीतर ; या

(ख) स्थानीय सीमाओं से, आकाशीय रूप से मापी गई, तीस किलोमीटर की दूरी के भीतर, अवस्थित क्षेत्र से भिन्न है ;'।

[अधिसूचना सं. 65/2023/फा.सं.370142/21/2023-टीपीएल भाग (1)]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 607(अ), तारीख 17 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2023

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 615(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) and *Explanation* to sub-clause (2) of section 17 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:–

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Income tax (Eighteenth Amendment), Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of September, 2023**.**

**2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 3,—**

**(i)** for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely: -

'(1) The value of residential accommodation provided by the employer, for the purpose of sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (2) of section 17, during the previous year shall be determined on the basis provided in the table I given below:

**TABLE-I**

| Sl. No. | Circumstances | Where accommodation is unfurnished | Where accommodation is furnished |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | Where the accommodation is provided by the Central Government or any State Government to the employees either holding office or post in connection with the affairs of the Union or of such State. | License fee determined by the Central Government or any State Government in respect of accommodation in accordance with the rules framed by such Government as reduced by the rent actually paid by the employee. | The value of perquisite as determined under column (3) and increased by 10% per annum of the cost of furniture (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment) or if such furniture is hired from a third party, the actual hire charges payable for the |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | same as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the previous year. |
| (2) | Where the accommodation is provided by any other employer and— | | |
| | (a) where the accommodation is owned by the employer, or | (i) 10% of salary in cities having population exceeding 40 lakhs as per 2011 census; | The value of perquisite as determined under column (3) and increased by 10% per annum of the cost of furniture (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment or other similar appliances or gadgets) or if such furniture is hired from a third party, by the actual hire charges payable for the same as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the previous year. |
| | | (ii) 7.5% of salary in cities having population exceeding 15 lakhs but not exceeding 40 lakhs as per 2011 census; | |
| | | (iii) 5% of salary in other areas, in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the previous year as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee. | |
| | (b) where the accommodation is taken on lease or rent by the employer. | Actual amount of lease rental paid or payable by the employer or<br>10% of salary, whichever is lower, as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee. | The value of perquisite as determined under column (3) and increased by 10% per annum of the cost of furniture (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment or other similar appliances or gadgets) or if such furniture is hired from a third party, by the actual hire charges payable for the same as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the previous year. |
| (3) | Where the accommodation is provided by the employer specified in serial number (1) or (2) in a hotel (except where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding in aggregate fifteen days on his transfer from one place to another). | Not applicable | 24% of salary paid or payable for the previous year or the actual charges paid or payable to such hotel, which is lower, for the period during which such accommodation is provided as reduced by the rent, if any, actually paid or payable by the employee: |

**Provided** that nothing contained in this sub-rule shall apply to any accommodation temporarily provided to an employee working at a mining site or an on-shore oil exploration site or a project execution site, or a dam site or a power generation site or an off-shore site—

(i) which, having plinth area not exceeding 1000 square feet, is located not less than eight kilometres away from the local limits of any municipality or a cantonment board; or

(ii) which is located in a remote area:

**Provided further** that where on account of his transfer from one place to another, the employee is provided with accommodation at the new place of posting while retaining the accommodation at the other place, the value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has the lower value with reference to the Table above for a period not exceeding ninety days and thereafter the value of perquisite shall be charged for both such accommodations in accordance with the Table:

**Provided also** that where the accommodation is owned by the employer and the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year, the amount calculated in accordance with SL. No.2(a) or 2(b) shall not exceed the amount so calculated for the first previous year, as multiplied by the amount which is a ratio of the Cost Inflation Index for the previous year for which the amount is calculated and the Cost Inflation Index for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee.

***Explanation 1.-*** For the purposes of this sub-rule, where the accommodation is provided by the Central Government or any State Government to an employee who is serving on deputation with any body or undertaking under the control of such Government,-

(i) the employer of such an employee shall be deemed to be that body or undertaking where the employee is serving on deputation; and

(ii) the value of perquisite of such an accommodation shall be the amount calculated in accordance with Sl. No. (2)(a) of Table- I, as if the accommodation is owned by the employer.

***Explanation 2.—*** For the purposes of third proviso,-

(i) "Cost Inflation Index" means the index notified by the Central Government in Official Gazette under clause (v) of *Explanation* to section 48;

(ii) "first previous year" means the previous year 2023-2024, or the previous year in which the accommodation was provided to the employee, whichever is later.;

**(ii)** in the *Explanation*, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

'(v) "remote area", for purposes of proviso to sub-rule(1) means any area other than an area which is located-

(a) within the local limits of ; or

(b) within a distance, measured aerially, of 30 kilometers from the local limits of, any municipality or a cantonment board having a population of 1,00,000 or more based on the 2011 census';

[Notification No. 65/2023/F. No. 370142/21/2023-TPL Part (1)]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 607(E) dated 17 August, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.18 20:00:12 +05'30'